गु0न0:— 10/2024 उनवानः— श्रीलाल बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

गु0न0 10/2024 रजू दिनांकः— 22.07.2024

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत निवासी ऐदलपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम।

अप्रार्थी

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः— श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः— 08.11.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 31/0.30, 34/0.34, 35/0.62, 36/0.39, 37/0.52, 38/2409/0.03, 59/2408/0.10, 60/0.46, 61/2407/0.20 कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे प्रार्थी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व कर्मचारियो ने गफलत व लापरवाही से प्रार्थी का नाम श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत के स्थान पर श्रीराम पुत्र पून्या दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज किया है। प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि मे श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत दर्ज है जो सही है।

बांका दिनांक 08.07.2024 को प्रार्थी ऋण लेने के लिए जमाबन्दी निकलवाई तब जाकर प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। पता चलने पर तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकार्ड मे हुई गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदारजी ने राजस्व रिकार्ड मे हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और प्रार्थी से न्यायालय मे कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 31/0.30, 34/0.34, 35/0.62, 36/0.39, 37/0.52, 38/2409/0.03, 59/2408/0.10, 60/0.46, 61/2407/0.20 कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे श्रीराम पुत्र पून्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर [illegible] तलब किया गया। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बालघाट ने जबाब पेश किया कि [illegible] भण्डारी अन्दरूणी की आराजीयात कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे वादी श्रीराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात के साबिक ख0न0 5/2 रकबा [illegible] बीधा 14 बिस्वा से बने है प्रार्थी के नाम यह भूमि नामां न0 148 विरासत से आयी है। जमाबन्दी सम्वत 2037—40 खाता न0 [illegible] पर नामांतकरण न0 148 ख0न0 5/2 रकवा 11 बीधा 14 बिस्वा का 1/4 बेरीसाल सिंह की जगह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

श्रीराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/6, महावीरया पुत्र भौरया हिस्सा 1/12 जाति कुम्हार निवासी ऐदलपुर के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है का नोट अंकित है। प्रार्थी द्वारा किया गया धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती के अन्तर्गत नही आता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे प्रार्थी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व कर्मचारियो ने गफलत व लापरवाही से प्रार्थी का नाम श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत के स्थान पर श्रीराम पुत्र पून्या दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज किया है। प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि मे श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत दर्ज है जो सही है। वर्णित आराजीयात कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे श्रीराम पुत्र पून्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीलाल प्रजापत पुत्र पून्या प्रजापत दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजीयात कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे वादी श्रीराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात के साबिक ख0न0 5/2 रकवा 11 बीघा 14 बिस्वा से बने है प्रार्थी के नाम यह भूमि नामां न0 148 विरासत से आयी है। जमाबन्दी सम्वत 2037—40 खाता न0 105 पर नामांतकरण न0 148 ख0न0 5/2 रकवा 11 बीघा 14 बिस्वा का 1/4 बेरीसाल सिंह की जगह श्रीराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/6, महावीरया पुत्र भौरया हिस्सा 1/12 जाति कुम्हार निवासी ऐदलपुर के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है का नोट अंकित है। प्रार्थी द्वारा किया गया धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती के अन्तर्गत नही आकर नामांतकरण अपील के अन्तर्गत आता है।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के खाता न0 210 की कुल खसरा किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे वादी श्रीराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल प्रार्थी के आधार कार्ड न0 6698 0103 2919, परिवार राशन कार्ड न0 200001695586 मे श्रीलाल पुत्र पून्याराम प्रजापत निवासी एदलपुर का अंकन तो है, परन्तु तहसीलदार टोडाभीम के जबाब व बहस अनुसार दावा इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत नही आकर अपील नामांतकरण की श्रेणी मे आता है। इसी के साथ शामिल दस्तावेज ये साबित नही करते कि लिपिकीय त्रुटि राजस्व रिकार्ड मे हुई है। इसलिये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात तथा उभयपक्ष की बहस, तहसीलदार टोडाभीम द्वारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती के क्षेत्राधिकार मे नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner